

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

दिनांक:- 20/6/24

क्रमांक/136/2024/316

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में जैरकार पत्रावली अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मु0न0 68/2019 अनवान स्टेट बनाम राजेन्द्र आदि में वर्णित आराजी रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं0 185/180 के मु0न0 144 के किला न0 22 की 0.253है0 किला न0 23 की 0.253है0 मु0न0 145 के किला न0 21 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 बारानी मु0न0 150 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253है0 मु0न0 151 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 161 के किला न0 2 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 162 के किला न0 1-2 प्रत्येक की 0.253है0 इस प्रकार कुल 10.8790है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र वल्द दलीपसिंह कौम जाट सा0 सुरतपुरा त0 राजगढ 1 हिस्सा, दाउद खां वल्द जमालदीन 349 हिस्सा बैतुल पत्नी दाउदखां 510 हिस्सा सा0 भादरा खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

उक्त वर्णित भूमि में मु0न0 144 के किला न0 22/1 की 0.1390है0 मु0न0 151 के किला न0 2/1 की 0.0330है0 किला न0 23 की 0.253है0 मु0न0 161 के किला न0 3/1 की 0.067है0 इस प्रकार कुल 0.492है0 बारानी भूमि का नामान्तरण नगरपालिका भादरा के नाम जरिये नामान्तरण सं0 1321 दिनांक 19.08.2013 द्वारा दर्ज हो गया। उक्त रकबा 0.492है0, खाता सं0 185/180 के कुल योग 10.8790है0 में से कम नहीं किया गया जिससे जमाबंदी में दर्ज काश्तकार एवं खाता के कुल योग का अन्तर एक नहीं होने के कारण खाता अपवादित दर्ज हो गया।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में जमाबंदी में दर्ज काश्तकार राजेन्द्र पूनिया पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सुरतपुरा त0 राजगढ जिला चुरू ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1 हिस्सा यानि 0.013है0 को कलमजन करने तथा बैतुल पत्नी दाउद खां जाति कुरैशी निवासी वार्ड सं0 11 भादरा ने अपने दर्ज हिस्सा 510 में से 0.47935है0 कम करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर खाता को दुरुस्त करने के लिए निवेदन किया गया है।


पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी चक 8 बारानी के खाता सं0 185/180 के मु0न0 144 के किला न0 22 की 0.253है0 किला न0 23 की 0.253है0 मु0न0 145 के किला न0 21 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 बारानी मु0न0 150 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253है0 मु0न0 151 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 161 के किला न0 2 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 162 के किला न0 1-2 प्रत्येक की 0.253है0 इस प्रकार कुल 10.8790है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र वल्द दलीपसिंह कौम जाट सा0 सुरतपुरा त0 राजगढ 1 हिस्सा, दाउद खां वल्द जमालदीन 349 हिस्सा बैतुल पत्नी दाउदखां 510 हिस्सा सा0 भादरा खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त विवादित भूमि में से जरिये नामान्तरण सं0 1321 दिनांक 19.08.2013 कुल 0.492 है0 भूमि नगरपालिका भादरा के नाम दर्ज हो गई। जमाबंदी चक 8 बारानी खाता सं0 356/4 संवत 2074-2077 के अनुसार उक्त 0.492है0 भूमि मु0न0 144 के किला न0 22/1 की 0.1390है0 मु0न0 151 के किला न0 2/1 की 0.0330है0 किला न0 23 की 0.253है0 मु0न0 161 के किला न0 3/1 की 0.067है0 द्वारा नगरपालिका भादरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः विवादित आराजी चक 8 बारानी के खाता सं0 185/180 को दुरुस्त करने के लिए

[Signature]



नगरपालिका भादरा के नाम दर्ज 0.492 है० कृषि भूमि खाता में दर्ज पक्षकारान के हिस्सा में से कम करने के लिए पक्षकारान राजेन्द्र वलद दलीपरिंह व बैतुल पत्नी दाउद खां द्वारा समझौता प्रकट की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया गया कि वे चक 8 बरानी के खाता सं० 185/180 के मु०न० 144 के किला न० 22 की 0.253 है० किला न० 23 की 0.253 है० मु०न० 145 के किला न० 21 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० बरानी मु०न० 150 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है० मु०न० 151 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०न० 161 के किला न० 2 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०न० 162 के किला न० 1-2 प्रत्येक की 0.253 है० इस प्रकार कुल 10.8790 है० बरानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र वलद दलीपरिंह कौम जाट सा० सुरतपुरा त० राजगढ 1 हिस्सा, दाउद खां वलद जमाबंदी का हिस्सा बैतुल पत्नी दाउदखां 510 हिस्सा सा० भादरा खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नगरपालिका भादरा के नाम दर्ज नामान्तरण सं० सं० 1321 दिनांक 19.08.2018 के अनुसार 0.492 है० को राजेन्द्र पुत्र दलीप सिंह का नाम (1 हिस्सा यानि 0.01 हिस्सा) को कलमज्ज कर तथा बैतुल बानो के नाम दर्ज हिस्सा में से 0.47935 है० भूमि कम कर उक्त खाता को दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। चंकि उक्त 0.492 है० वाद भूमि नगरपालिका भादरा के नाम पूर्व में ही दर्ज हो गई है अतः जमाबंदी का शेष अंकन यथावत् स्था जावे। उपरोक्तानुसार रिकार्ड दुरुस्त कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 7 दिवस में पेश करें।


उपखण्ड अधिकारी
भादरा (हनुमानगढ)